Judl/Civil
Part IV-10

अन्तिम

डिकरी ब मुकद्दमे इब्तदाई

(आॅर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दावानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत— उप खण्ड अधिकारी ——मुकाम— महवा

ब इजलास— श्री अजय कुमार आर्य RAS

1. रामचन्द्र पुत्र हीरालाल ✻ ——बनाम— राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर दौसा ✻

दावा ब.बत— घोषणाखातेदारी, कुकस्ती इन्द्राजात व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकद्दमा नं. 57/12 ——सन्——

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू— मेरे

बहाजरी— श्री उमेश शर्मा एड. ——मिनजानिब मुद्दई व— श्री ओ०पी० अग्रवाल एड.

——मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम-ठेकडा, तहसील- महवा की भूमि खसरा नम्बर 517 में से प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 10 मु० श्रीमती पत्नि स्व० रामहेत लाल, ओमप्रकाश, सुरेशचन्द्र, बिजेन्द्र कुमार, जगदीश प्रसाद गोयल पि० रामहेत हिस्सा 1/2, सतीशचन्द, अशोककुमार पि० रामस्वरूप हि० 1/2 जाति ✻

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह—————फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक—————को अदा करें। PTO

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 31 —माह— 01 ——2018

को जारी की गई।

दस्तखत— [signature]
ओहदा— उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)

मुहर

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट * महवा (दौसा) *

मुद्दई		रुपया	पं.	मुद्दायलाह		रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा	..			स्टाम्प वकालतनामा	..		
स्टाम्प वकालतनामा	..			स्टाम्प अर्जी	..		
स्टाम्प वजह सबूत	..			महनताना वकील पर	..		
महनताना वकील	..			खर्चा गवाहान	..		
खर्चा गवाहान	..			फीस कमिश्नर	..		
फीस कमिश्नर	.			बाबत इजराय हुक्मनामा	..		
बाबत इजराय हुक्मनामा	..			मुतफर्रिक	..		
मुतफर्रिक	..						
मीजान..				मीजान..			

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

रा.मु.जो.-40-2004-1,00,000 फ़ा

※ 2 कैलाश पुत्र हीरालाल
3. रामखिलाडी पुत्र हीरालाल
4. छोटेलाल पुत्र हीरालाल
जाति-मीना, निवासी-ठेकडा
तहसील-महवा (दौसा)

— वादीगण —

2. तहसीलदार महवा
3. ओमप्रकाश पुत्र रामहेतलाल
4. सुरेशचन्द पुत्र रामहेतलाल
5 बृजेन्द्र कुमार पुत्र रामहेतलाल
6. जगदीश प्रसाद पुत्र रामहेतलाल
7. गोपाल पुत्र रामहेतलाल
8. गोमती पत्नि रामहेतलाल
9. सतीशचन्द पुत्र रामस्वरूप
10. अशोक कुमार पुत्र रामस्वरूप
समस्त जाति-महाजन
निवासी-महवा (दौसा)

— प्रतिवादीगण —

※ महाजन, निवासी-महवा की खातेदारी समाप्त की जाकर खसरा नम्बर 417 के रकबा में से 10 बिस्वा (1250 वर्गमीटर) का वादीगण, रामचन्द पुत्र हीरालाल, कैलाश पुत्र हीरालाल रामखिलाडी पुत्र हीरालाल, छोटेलाल पुत्र हीरालाल, जाति-मीना, निवासी-ठेकडा, तहसील-महवा हाल निवासी महवा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादीगण इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टियां करवाने के हकदार हैं। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी की आराजीयात के कब्जा-काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। वादीगण को शान्ति पूर्वक काश्त करने दें।

प्रतिवादीगण का प्रतिदावा डिक्री किया जाकर ग्राम ठेकडा तहसील-महवा की भूमि खसरा नम्बर 421/0.29, 423/0.08, 447/0.12 कुल 0.49 हैक्टेयर में से 0.26 है० का प्रतिवादीगण मु० गोमती पत्नि स्व० रामहेतलाल, ओमप्रकाश, सुरेशचन्द, बिजेन्द्र कुमार, जगदीश प्रसाद गोयल पि० रामहेत हिस्सा 1/2 सतीशचन्द, अशोककुमार पि० रामस्वरूप हि० 1/2 जाति-महाजन, निवासी-महवा को खातेदार घोषित किया जाता है/ प्रतिवादीगण इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करवाने के हकदार होंगे।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

मु. सं. 57/12 (आवा

31.1.18

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादीगण का वाद व प्रतिवादीगण का प्रतिदावा डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 14.2.18

प्रतिवादी अशोक कुमार की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली प्राप्त की गयी । प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152जा.दी. प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि निर्णय/डिक्री दिनांक 31–01–2018 में टाईपिंग/ सहवन से कुछ त्रृटियां हो गयी हैं जिनको दुरूस्त फरमाया जावे।

1. निर्णय के पेज संख्या 4 की 22 वीं लाईन में गोपाल के स्थान पर गोयाल दर्ज हो गया है तथा तनकी सेख्या 3 में जगदीश प्रसाद प्रतिवादी के बाद गोपाल का नाम दर्ज होने से रह गया है ।
2. निर्णय के पेज संख्या 8 में तनकी संख्या 3 जहां लिखा है उसके नीचे तनकी में दूसरी लाईन में जगदीशप्रसाद के पश्चात गोपाल का नाम दर्ज होने से रह गया है।
3. निर्णय के पेज संख्या 9 की 14वीं लाईन में गापाल के स्थान पर गोयल दर्ज हो गया है।
4. निर्णय के पेज संख्या 10 व की चौथी लाईन व 17वीं लाईन में गोपाल के स्थान पर गोयल दर्ज हो गया है।
5. डिक्री दिनांक 31–1–18 में सहवन से मिनजानिब मुददई व काउण्टरक्लैमेंट के वकील शिवचरण शर्मा एड कर नाम दर्ज करने से रह गया है।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

6. डिकी मे प्रतिवादी गोपाल के स्थान पर गोयल दर्ज हो गया है तथा प्रथम पेज पर जगदीश प्रसाद के पश्चात हैं

7. डिकी के पेज संख्या 2 मे भी 5वी लाईन में जगदीश प्रसाद के पश्चात गोपाल के स्थान पर गोयल दर्ज हो गया है।

8. निर्णय के पेज संख्या 9, 10, एवं डिकी में खसरा नम्बर 422 के स्थान पर खसरा नम्बर 423 दर्ज हो गया है।

हमने प्रार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जा.दी.की धारा 152 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों का संशोधन–निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में की गयी लेखन या गणित संबंधी भूलें या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि उक्त गलतियों को शुद्ध किया जा सकता है। अतः इस न्यायालय के निर्णय/डिकी दिनांक 31–01–2018 में निम्न प्रकार शुद्धियां करने के आदेश दिये जाते हैः–

1. निर्णय के पेज संख्या 4 की 22 वीं पंक्ति में गोयाल के स्थान पर गोपाल, पेज संख्या 6 में तनकी संख्या 3 में जगदीशप्रसाद के बाद गोपाल पढा जावे।
2. निर्णय के पेज संख्या 8 में तनकी संख्या 3 लिखा है उसके नीचे तनकी की II लाईन में जगदीश प्रसाद के पश्चात गोपाल का नाम भी पढा जावे।
3. पेज संख्या 9 की 14 वीं लाईन में गोयल के स्थान पर गोपाल पढा जावे।
4. पेज संख्या 10 की चौथी लाईन एवं 17वीं में गोयल के स्थान पर गोपाल पढा जावे।
5. डिकी के प्रथम पेज में जगदीशप्रसाद के पश्चात गोयल के स्थान पर गोपाल व पेज संख्या 2 के अंतिम पैरा में जगदीशप्रसाद के पश्चात गोयल के स्थान पर गोपाल पढा जावे।
6. निर्णय के पेज संख्या 9 की 12वी लाईन व पेज संख्या 10 की 15 वीं लाईन में खसरा नम्बर 423 के स्थान पर 422 पढा जावे।
7. डिकी के पेज संख्या 2 पर भी खसरा नम्बर 423 के स्थान पर खसरा नम्बर 422 पढा जावे।
8. डिकी में मिनजानिब मुदई में श्री शिवचरण शर्मा एडवोकेट के नाम पढा जावे।

यह आदेश मूल निर्णय का ही एक भाग होगा।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा(दौसा)